परिशिष्ट-VII

रेडियो सेट खरीदने के लिए आकाशवाणी के कर्मचारियों और अधिकारियों को एडवांस मंजूर करने के नियम

1. पात्र व्यक्ति

(1) एडवांस स्टाफ के केवल उसी वर्गों को मंजूर किया जाए जिनका उल्लेख इन नियमों (परिशिष्ट-1) के साथ संलग्न अनुसूची में किया गया है।

(2) अस्थायी और स्थायीवत्त सरकारी कर्मचारियों और विभागीय कलाकारों को अपने बराबर के या उच्च स्तर के कर्मचारियों से फार्म संख्या-1 (अनुलग्नक-II) में जमानत देनी होगी। एक अस्थायी कर्मचारी या विभागीय कलाकार को तभी एडवांस मंजूर किया जाएगा जब मंजूर करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि वह व्यक्ति एडवांस और ब्याज की वापसी तक सेवा में बना रहेगा।

विभागीय कलाकारों के मामले में, रेडियो सेट की खरीद के लिए एडवांस इस शर्त पर दिया जाएगा कि पूरा एडवांस और ब्याज उसकी अनुबंध अवधि से पूर्व वसूल हो जाना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एडवांस और ब्याज को इस प्रकार वसूल किया जाए कि एडवांस की अन्तिम बकाया राशि उसके अन्तिम वेतन में से काट ली जाए।

2. मंजूरी प्राधिकारी

महानिदेशक, आकाशवाणी, अनुसूची (अनुलग्नक-I) में उल्लिखित कर्मचारियों के वर्गों को एडवांस मंजूर कर सकते हैं। आकाशवाणी के अधीनस्थ कार्यालयों के बारे में इन कार्यालयों के अध्यक्ष इस एडवासं की मंजूरी दे सकते हैं।

3. एडवांस की धनराशि

(1) एडवांस की राशि 500/- रूपए (पाँच सौ रूपए) ा रेडियो सेट की प्रत्याशित कीमत जो भी कम हो, से अधिक नहं होनी चाहिए।

(2) यदि की गई कीमत कम हो तो लिए गए एडवांस की बकाया राशि तत्काल सरकार को जमा करवा दी जाए।

4. एडवांस का लेना

(1) मंजूरी देने वाला अधिकारी स्वयं इस बात से संतुष्ट होगा कि प्रार्थी के पास रेडियो सेट का होना जनहित के लिए आवश्यक है।

(2) निकाल दिया गया है।*

(3) एक सरकारी कर्मचारी/विभागीय कलाकार जो रेडियो सेट खरीदने के लिए एडवांस लेता है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह एडवांस लेने की तारीख से एक मास के अन्दर रेडियो सेट खरीदने की सभी औपचारिकताएँ पूरी करेगा अन्यथा, ली गई एडवांस की राशि और एक मास का ब्याज सरकार का लौटा दिया जाए। यह शर्त एडवांस मंजूर करने वाले पत्र में लिखी जाए।

(4) एडवांस लेते वक्त, सरकारी कर्मचारी/विभागीय कलाकार को फार्म-2 (अनुलग्नक-III) में एक अनुबंध करना होगा। रेडियो सेट की खरीद पूरी करने पर फार्म-3 (परिशिष्ट-IV) में एक गिरवी बांड भरना होगा जिसके अनुसार जमानत के तौर पर उसे रेडियो सेट भारत के राष्ट्रपति को बन्धक के रूप में रखना होगा।

APPENDIX VII

RULES FOR THE GRANT OF ADVANCES TO OFFICERS AND STAFF OF ALL INDIA RADIO FOR THE PURCHASE OF RADIO SETS

1. Persons entitled

(i) The advance may be granted only to the staff of the categories specified in the Schedule attached to these Rules (Annexure I).

(ii) The temporary and quasi-permanent Government servants and Staff Artists will have to produce a surety of a permanent Government servant of comparable or higher status in Form No. 1 attached (Annexure II). A temporary Government servant or Staff Artist will be given the advance only if, in the opinion of the sanctioning authority, he/she is likely to continue in service till the amount of advance together with the interest is fully re-paid.

In the case of Staff Artists, sanction for the grant of advance for the purchase of a radio set should be accorded, subject to the condition that the amount of advance together with interest thereon would be repayable by the Staff Artists in full, before the expiry of the period of contract. In order to ensure this, the rate of recovery of the advance should be so fixed that the amount of advance together with interest thereon is recovered at the time of issue of last pay to the officer.

2. Sanctioning Authority

Director General, All India Radio may sanction the advance to the categories of staff mentioned in the Schedule (Annexure I). In the case of staff in the Subordinate Offices of All India Radio, the Heads of those offices may sanction the advance.

3. Amount of Advance

(i) The amount of the advance will not exceed Rs. 500 (Rupees five hundred) or the anticipated price of the radio set, whichever is less.

(ii) if the actual price paid is less than the advance taken, the balance must be forthwith refunded to Government.

4. Drawal of Advance

(i) The sanctioning authority will satisfy itself that the possession of a radio set by the applicant is necessary in the public interest.

(ii) *Deleted.

(iii) A Government servant/Staff Artist who draws an advance for the purchase of a radio set is expected to complete the negotiations for the purchase of and pay finally for the radio set, within one month of the date on which he/she draws the advance; failing such completion and payment, the full amount of the advance drawn, with interest thereon for one month, must be refunded to Government. This condition should always be mentioned in letters sanctioning such advances.

(iv) At the time of drawing the advance the Government servants/Staff Artists should be required to execute an agreement in Form No.2 (Annexure III) and on completing the purchase, he/she should further be required to execute a mortgage bond in Form No.3 (Annexure IV) hypothecating the radio set to the President of India as security for the advance. The cost price of the radio set should also be entered in the Schedule of Specifications attached to the Mortgage Bond.

*Deleted in Min. of I&B No.17/1/69—A&G dated 25th September, 1969.

(5) (क) दूसरी बार यह एडवांस सामान्यतया पिछले एडवांस लेने के पाँच वर्ष से पूर्व नहीं मिलेगा, बशर्ते कि आवेदनकर्ता इस बारे में संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करे कि पिछला रेडियो सेट प्रोग योग्य नहीं है या वह इतना खराब हो गया है कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकती या वह अन्यथा उसके नियंत्रण से बाहर है और अनुपलब्ध है। दूसरे एडवांस की मंजूरी के साथ यह प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि प्रार्थी का प्रथम रेडियो सेट प्रयोग योग्य नहीं है या वह प्रार्थी के पास अनुपलब्ध है।

(ख) दूसरा एडवांस इन नियमों के अन्तर्गत तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक प्रथम एडवांस की धनराशि और ब्याज की रकम पूरी तरह लौटा नहीं दी जाती।

(6) (क) एडवांस लेने के एक मास की अन्दर एडवांस लेने वाले को, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें खरीदे गए रेडियो सेट का विवरण तथा वास्तव में अदा की गई कीमत की रसीद होनी चाहिए।

(ख) जब एडवांस ड्रा कर लिया जाए तब मंजूरी देने वाला प्राधिकारी महालेखाकार को एक प्रमाण पत्र देंगे कि एडवांस लेने वाले सरकारी कर्मचारी/विभागीय कलाकार ने फार्म-2 (परिशिष्ट-III) में अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस अनुबंध की जाँच की गई है और इसे सही पाया गया है। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को चाहिए कि वह इस बात को देख ले कि एडवांस करने के एक महीने के अंदर रेडियो सेट खरीद लिया जाए और गिरवी बांड महालेखाकार के पास फाइनल रिकार्ड से पूर्व, जांच के लिए भेज दिया जाए।

गिरवी बांड को मंजूरी देने वाला प्राधिकारी सुरिक्षत रखेगा। जब एडवांस पूरी तरह वापस कर लिया जाए तब यह बांड कैन्सिल करके संबंधित सरकारी कर्मचारी/विभागीय कलाकार को लौटा दिया जाए। उससे पूर्व महालेखाकार से प्रमाण पत्र ले लिया जाए कि एडवांस और ब्याज पूरी तरह लौटा दिया गया है।

(ग) महानिदेशक, डाक तार द्वारा समय समय पर लगाई गई रेडियो लाइसेंस फी संबंधित सरकारी कर्मचारी/विभागीय कलाकार द्वारा स्वयं देनी होगी। उसे समय समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण भी करवाना होगा और मांग करने पर लाइसेंस को जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा।

(घ) रेडियो सेट का रख रखाव तथा सेट के पुर्जे आदि का बदलाया जाना संबंधित सरकारी कर्मचारी/विभागीय कलाकार की जिम्मेदारी होगी।

3. एडवांस की धनराशि

(1) एडवांस की राशि को सरकारी कर्मचारी/विभागीय कलाकार के मासिक वेतन बिल से काट लिया जाए। यह कटौती 20 मासिक किस्तों में की जाए (शेष बचे अंश को अंतिम किस्त में काट लिया जाए)। एडवांस ड्रा करने के पश्चात् मिलने वाले पहले वेतन में से वसूल करना शुरू किया जाए। यदि एडवांस लेने वाला सरकारी कर्मचारी/विभागीय चाहे तो मंजूरी देने वाला प्राधिकारी कम किस्तों में वसूली करवाने की अनुमति दे सकता है।

(2) मूल एडवांस की वसूली हो जाने के उपरांत अगले मास एक किस्त में ब्याज की भी वसूली की जाए।

(3) जिस वर्ष एडवांस लिया जाता है उस वर्ष एड्वांस पर सरकार द्वारा निर्धारित साधारण ब्याज लिया जाएगा। प्रत्येक मास के अंतिम दिन बकाया राशि पर ब्याज गिना जाए।

(4) जहाँ कहीं वेतन मास समाप्त होने से पूर्व बांट दिया जाता है—उस मामले में उस मास काटी गई किस्त अगले मास पहली तारीख को काटी गई किस्त समझा जाए—जोकि वेतन बांटे जाने की सामान्य निधि होती है।

(v) (a) A second advance shall not ordinarily be admissible within five years of the grant of a previous advance, unless satisfactory evidence is produced by the applicant that the previous radio set has become unserviceable or has been damaged beyond repairs or has become otherwise unavailable for reasons beyond his/her control. The sanction for the second advance should include a certificate that the sanctioning authority has satisfied itself that the radio set already in possession of the applicant has become unserviceable or is otherwise unavailable to him/her.

(b) A second advance cannot be made under these rules until the amount of the first advance together with the interest thereon has been fully repaid.

(vi) (a) Wihtin one month of the date of drawal of the advance, the drawer should furnish to the sanctioning authority a certificate giving full particulars of the radio set purchased and the cash receipt for the amount actually paid for it.

(b) When an advance is drawn, the sanctioning authority should furnish to the Accountant General concerned a certificate that the agreement in Form No.2 (Annexure III) has been signed by the Government servant/Staff Artist drawing the advance and that it has been examined and found to be in order. The sanctioning authority should see that the radio set is purchased within one month from the date on which the advance is drawn and should submit every mortgage bond promptly to the Accountant General concerned for examination before final record.

The mortgage bonds should be kept in the safe custody of the sanctioning authority. When the advance has been fully repaid, the bond should be returned to Government servant/Staff Artist concerned, duly cancelled, after obtaining a certificate from the Accountant General concerned, as to the complete repayment of the advance and interest.

(c) The licence fee for the radio set will be payable by the Government servant/Staff Artist concerned, at prescribed rates levied by the Director General, Posts and Telegraphs, from time to time. He shall have to get the licence renewed from time to time and on demand produce it for scrutiny.

(d) Maintenance and working of the set, including replacement of the parts of the set, will be the responsibility of the Government servant/Staff Artist concerned.

5. Recoveries

(i) The amount of the advance shall be recovered by deduction from salary bills of the Government servant/Staff Artist concerned in not more than 20 equal monthly instalments (fractions being adjusted in the last instalment). Recovery will start from the first issue of pay after the drawal of the advance. The sanctioning authority may, however, permit recovery to be made in a smaller number of instalments, if the Government servant/Staff Artist receiving the advance so desires.

(ii) The interest will be recovered, in addition, in one instalment in the month following the month in which the recovery of the principal is completed.

(iii) The interest on the advance will be simple interest at the rate prescribed by Government for the year in which the advance is granted. The interest should be calculated on balances outstanding on the last day of each month.

(iv) In cases, where pay bills for a month are disbursed before the end of the month, an instalment in repayment of an advance received through the pay bill will be taken as having been refunded on the first of the following month, the normal date for the disbursement of pay.

(5) यदि संबंधित सरकारी कर्मचारी/विभागीय कलाकार किसी भी प्रकार की छुट्टी पर जाता है और अपनी छुट्टी का वेतन/या अपना निर्वाह भत्ता साथ ले जाता है तो उस मास उसके वेतन से किस्त न काटी जाए। तथा पि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी, अपवाद मामलों में यह आदेश दे सकता है कि किस्त काट ली जाए बशर्ते कि देय संपूर्ण राशि, मूल रूप में निर्धारित समय अवधि में ही वसूल की जानी हो।

(प्राधिकार : सूचना और प्रसारण मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/114/58-बी (एम) दिनांक 16 सितंबर, 1960 और आकाशवाणी महानिदेशालय पृष्ठांकन संख्या 28(1)/60- ए एण्ड जी दिनांक 8 नवंबर 1960)

(v) The amount to be recovered monthly should not be affected by the fact of the Government servant/Staff Artist concerned going on leave of any kind with leave salary or his/her drawing subsistence grant. The sanctioning authority may, however, in exceptional cases order a reduction in the amount of the monthly instalment, provided that the whole amount due should be completely recovered within the period originally fixed.

(Authority: Ministry of I&B O.M. No. 3/114/58-B(M), dated 16th September, 1960. D.G., AIR endorsement No. 28(1)60/A&G, dated 8th November, 1960).

अनुलग्नक - I

(नियम 1 (i) देखें)

आकाशवाणी के अधिकारियों और विभागीय कलाकारों के वर्ग जो रेडियो सेट खरीदने के लिए पात्र हैं :

1. केन्द्र निदेशक के ग्रेड में सभी अधिकारी तथा निदेशक, मानीटरिंग सेवा, सभी कार्यक्रम निदेशक, निदेशक, कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम), निदेशक, श्रोता अनुसंधान (उपनिदेशक, श्रोता अनुसंधान), निदेशक (कृषि एवं गृह) संयुक्त निदेशक (कृषि एवं गृह), तथा निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र सहित सभी संयुक्त केन्द्र निदेशक।

2. केन्द्र इंजीनियर के ग्रेड में सभी अधिकारी (सहायक निदेशक (सामुदायिक श्रवण), सहायक निदेशक, कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), सहायक योजना अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय इंजीनियर, उप-संस्थान इंजीनियर, उच्च शक्ति ट्रांसमिटर के उप-प्रभारी इंजीनियर तथा सहायक अनुसंधान इंजीनियर, सहित)

3. सहायक केन्द्र निदेशक के ग्रेड में सभी अधिकारी (मानीटरिंग सेवा के सहायक निदेशक, श्रोता अनुसंधान के सहायक निदेशक और कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान के अनुदेशक सहित)

4. सहायक केन्द्र इंजीनियर के ग्रेड के सभी अधिकारी (कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) के वरिष्ठ इंजीनियरिंग अनुदेशक उप सहायक योजना अधिकारी, उप सहायक इंजीनियर, अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान विभाग) तथा सहायक प्रत्यंकन अधिकारी सहित)

5. विदेश सेवा प्रभाग का उपनिशक
   समाचार उपनिदेशक
7. मुख्य समाचार संपादक
8. सभी समाचार सम्पादक
9. सभी सहायक समाचार संपादक और उप-संपादक
10. वरिष्ठ संवाददाता और संवाददाता (समाचार सेवा)
11. कार्यक्रम निदेशक (विज्ञापन)
12. उपनिदेशक (जनसंपर्क)
13. निदेशक, केन्द्रीय विक्रय एकांश
14. उपनिदेशक, केन्द्रीय विक्रय एकांश
15. सुपरवाइजर (विदेशी भाषाएँ)
16. श्रोता अनुसंधान अधिकारी
17. मानीटर (विदेशी भाषाएँ)
18. कार्यक्रम निष्पादक
19. फार्म रेडियो अधिकारी और फार्म रेडियो रिपोर्टर
20. विस्तार अधिकारी (परिवार नियोजन)
21. विभागीय कलाकार/प्रस्तुतकर्ताओं और सहायक प्रस्तुतकर्ता

(प्राधिकार : सूचना और प्रसारण मंत्रालय पत्र सं. 17/1/69-ए एण्ड जी दिनांक 25 सितंबर, 1969)

ANNEXURE I
(See Rule 1(i))

SCHEDULE

Categories of Officers and Staff Artists of A.I.R. eligible for the advance for purchase of Radio Sets.

1. All Officers in the Grade of Station Directors and Joint Station Directors including Director, Monitoring Service. Directors of Programme; Director of Staff Training (Programmes); Director of Listener Research; (Deputy Director Listener Research) Director of Farm & Home, Joint Director of Farm & Home and Director, T.V. Centre.
2. All Officers in the Grade of Station Engineer (including Assistant Director, Community Listening, Assistant Director of Staff Training School (Technical), Assistant Planning Officers, Assistant Regional Engineers, Deputy Installation Engineers, Deputy Engineer-in-Charge of High Power Transmitter and Assistant Research Engineer).
3. All Officers in the Grade of Assistant Station Directors (including Assistant Director of Monitoring Service; Assistant Director of Listener Research; and Instructor of Staff Training School).
4. All Officers in the grade of Assistant Station Engineers, (including Senior Engineering Instructor of Staff Training School (Technical); Deputy Assistant Planning Officers, Deputy Assistant Regional Engineers, Research Officers (Research Department) and Assistant Transcription Officers).
5. Deputy Director of External Service Division
6. Deputy Director of News
7. Chief News Editor
8. News Editors
9. Assistant News Editors and Sub-Editors
10. Senior Correspondents and Correspondents (News Services)
11. Director of Programmes (Commercial)
12. Deputy Director of Liaison
13. Director of Central Sales Unit
14. Deputy Director of Central Sales Unit
15. Supervisors (Foreign Languages)
16. Listener Research Officers
17. Monitors (Foreign Languages)
18. Programme Executives
19. Farm Radio Officers and Farm Radio Reporters
20. Extension Officer (Family Planning)
21. Staff Artists/Producers and Assistant Producers

Authority:—Min. of I&B No. 17/1/69-A&G dated 25th September, 1969)

अनुलग्नक - II

(देखिए नियम 1 (ii))

फार्म संख्या 1

यह सब को ज्ञात हो कि मैं ------ ---- ------ ---- सुपुत्र श्री --- --- ---- --- ---- --- जो --- ----- ---- ---- ---- का --- ----- ----- ---- --- और ---- ---- ----- ---- --- जिले का स्थायी ---- ----- ----- ------ निवासी हूं और इस समय ----- ---- ----- ---- -- में स्थायी ---- ---- ---- ---- ---- के रूप में नियोजित हूं। (जिसे इसमें आगे ''प्रतिभू'' कहा गया है (भारत के राष्ट्रपति) जिन्हें इसमें आगे ''सरकार'' कहा गया है और जिसमें उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल है) के प्रति इसमें आगे उल्लिखित ब्याज सहित ---- ----- ----- ---- -- रुपये ---- ---- ---- ---- ---- (केवल ---- ---- ---- ---- ---- रुपये) की रकम तथा अटर्नी और मुवक्किल के बीच के सब खर्चे और वो सभी प्रभार और व्यय, जिसे सरकार को करना पड़ा या उठाना पड़ा है अथवा करने पड़ेंगे या उठाने पड़ेंगे, सरकार को संदाय करने के लिए वचनबद्ध हूं और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हूं। यह संदाय पूर्णतः और सही रूप में करने के लिए मैं अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं। इसके साक्ष्य-स्वरूप में आज दिनांक ----- ----- ----- --- -- को इस पर हस्ताक्षर करता हूं।

सरकार ने ---- ----- ----- ---- -- को जो ----- ----- ----- --- -- का सुपुत्र और ----- ----- ----- ----- जिले में ----- ----- ----- ----- का निवासी है और इस समय ----- ---- ---- में अस्थायी ----- ----- ----- ----- के रूप में नियोजित है (जिसे इसमें आगे ''ऋणी'' कहा गया है) ऋणी की प्रार्थना पर ----- ------ ----- ---- (प्रयोजन) के लिए ----- ----- ------ ---- रुपये (केवल ------ ---- ---- रुपये) की अग्रिम धनराशि देने का करार किया है। ऋणी ने उक्त रकम का संगत नियमों के नियम 5 के अधीन विहित दर और रीति से अग्रिम धनराशि दी जाने के दिन से उस पर लगाए गए ब्याज या उस रकम के उतने भाग पर जितना भाग उस समय देय हो, जिसका संदाय न किया गया हो, सरकारी ऋणों के लिए नियत और चालू सरकारी दरों से लगाए गए ब्याज सहित ------ ------ ---- ---- समान मासिक किस्तों में लौटाने का वचनबद्ध किया है।

इस बात के फलस्वरूप कि सरकार ऋणी को पूर्वोक्त अग्रिम धनराशि देने के लिए सहमत हो गई है, प्रतिभू ने उपर्युक्त बंधपत्र नीचे लिखी शर्तों पर निष्पादित करने का करार किया है।

उक्त लिखित बंधपत्र की शर्त यह कि यदि ऋणी ---- ---- ---- ---- ---- में नियोजित रहने के दौरान सरकार को देय पूर्वोक्त ---- ----- ------ ----- रुपये (केवल ----- ----- ----- ---- - रुपये) के अग्रिम की रकम का उस पर पूर्वोक्त रीति से लगाए गए ब्याज सहित या उस रकम के उतने भाग पर जितना उस समय देय हो किन्तु जिसका संदाय नहीं किया गया हो, सरकारी ऋणों के लिए नियत और चालू सरकारी दरों से अग्रिम धनराशि की तारीख का सम्यक् रूप से संदाय किए जाने तक पूर्वोक्त रीति से लगाए गए ब्याज सहित सम्यक् और नियमित रूप से किस्तों में संदाय करता है या कराता है तो यह बंधपत्र रद्द हो जाएगा अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत रहेगा और प्रभावी रूप से लागू रहेगा।

किन्तु यदि ऋणी की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है या किसी समय सरकार की सेवा में नहीं रहता है तो ---- ----- ----- ----- - रुपये (केवल ----- ---- --- रुपये) का उक्त पूरा मूलधन या उसका इतना भाग जिसका संदाय उस समय तक नहीं दिया गया है तथा उक्त मूल धन पर देय ब्याज जो अग्रिम की तारीख से पूर्वोक्त रीति से लगाया जाएगा, सरकार को तुरन्त देय और संदेय हो जाएगा और इस बंधपत्र के आधार पर प्रतिभू से वसूल किया जा सकेगा।

ANNEXURE-II

(See Rule 1(ii)

FORM NO 1.

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT I ______________ SON OF ______________ resident of ______________ in the District of ______________ at present employed as a permanent ______________ in the ______________ (hereinafter called "the Surety") am held and firmly bound up to the President of India (hereinafter called "the Government" which expression shall include his successors and assigns) in the sum of Rs.______________ (Rupees ______________ only) with interest as hereinafter specified and all costs between attorney and client and all charges and expenses that shall or may have been incurred by or occasioned to the Government to be paid to the Government FOR WHICH PAYMENT to be well and truely made I hereby bind myself, my heirs, executors, administrators and representatives firmly by these presents. As witness my hand this ______________ day of ______________ one thousand nine hundred and ______________.

WHEREAS the Government has agreed to grant to ______________ son of ______________ a resident of ______________ in the District of ______________ at present employed as temporary ______________ in the ______________ (hereinafter called "the Borrower") at the borrower's own request an advance of Rs. ______________ (Rupees ______________ only) for the ______________ AND WHEREAS THE BORROWER has undertaken to repay the said amount in ______________ equal monthly instalments with interest as calculated at the rate and in the manner prescribed in Rule 5 of the relevant Rules thereon or on so much thereof as shall for the time being remain due and unpaid calculated at fixed Government rates in force for Government loans from the day of the advance.

AND WHEREAS in consideration of the Government having agreed to grant the aforesaid advance to the Borrower the Surety has agreed to execute the above bond with such condition as hereunder is written.

NOW THE CONDITION OF the above written bond is that if the said Borrower shall, while employed in the said ______________ DULY and regularly pay or cause to be paid to the Government the amount of the aforesaid advance owing to the Government by instalments with interest as calculated in the aforesaid manner thereon or on so much thereof as shall for the time being remain due and unpaid calculated at fixed Government rates in force for Government loans from the day of the advance until the said sum of Rs. ______________ (Rupees ______________ only) with interest as calculated in the aforesaid manner shall be duly paid, then this bond shall be void otherwise the same shall be and remain in full force and virtue.

BUT SO NEVERTHELESS that if the Borrower shall die or become insolvent or at any time cease to be in the service of the Government, the whole or so much of the said principal sum of Rs. ______________ (Rupees ______________ only) thereof as shall then remain unpaid and the interest due on the said principal sum calculated in the aforesaid manner from the day of the advance immediately become due and payable to the Government and be recoverable from the surety by virtue of this bond.

प्रतिभू, ने जो बाह्यता स्वीकार की है, वह सरकार द्वारा समय बढ़ाए जाने या उक्त ऋणी के प्रति अन्य उदारता बरते जाने के कारण न तो उन्मोचित होगी और न किसी प्रकार प्रभावित होगी, चाहे ऐसा प्रतिभू की जानकारी में हो या नहीं या उसकी सहमति से बिना किया गया हो या नहीं।

इस दस्तावेज पर भी स्टाम्प शुल्क देना होगा, वह सरकार देगी।

आज तारीख---------
---------को ---------

मैं, उक्त ---------

(प्रतिभू का नाम)

पदनाम ---------
(प्रतिभू के हस्ताक्षर) --------------------
कार्यालय --------------------
का नाम

1. --------------------
(साक्षी के हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय)
2. --------------------
(साक्षी के हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय)

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर लिए और परिदान किया।

स्वीकृत

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से।

The obligation undertaken by the Surety shall not be discharged or in any way affected by an extension of time or any other indulgence granted by the Government to the said borrower whether with or without the knowledge or consent of the Surety.

The stamp duty on this form will be borne by the Surety.

Signed and delivered by the said	(Signature of Surety)
______________________	Designation ______________________
at ______________________	Office to which attached ______________
this ______________________	______________________
of ______________________	
19 ______________________	In the presence of
Signature, address and occupation	1. ______________________
of the witnesses.	2. ______________________

ACCEPTED

For and on behalf of the President of India.

अनुलग्नक - III

(देखिए नियम 4(4))

फार्म संख्या 2

रेडियो सेट खरीदने के लिए अग्रिम धनराशि लेते समय किए जाने वाले करार का प्रपत्र

यह करार एक पक्षकार के रूप में ------ ------ ----- --- (जिसे इसमें आगे ''ऋणी'' कहा गया है और इसमें उसके वारिस प्रशासक, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी शामिल है और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति) जिन्हें इसमें आगे ''राष्ट्रपति'' कहा गया है और इसमें उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल हैं) के बीच आज ----- ------ ----- ---- दिन

ऋणी ने ''आकाशवाणी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रेडियो सेट खरीदने के लिए अग्रिम दिए जाने संबंधी नियमों'' (जिसे इसमें आगे ''उक्त नियम'' कहा गया है, जिसका उस नियम के उस समय प्रवृत्त संशोधन भी शामिल है) उपबंधो के अधीन ----- ----- ----- ----- रुपये उधार दिए जाने के लिए राष्ट्रपति को आवेदन किया है और राष्ट्रपति ऋणी को उक्त रकम के आगे दिए गए निबंधनों और शर्तों पर उधार देने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है कि ऋणी राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली ---- ----- ------ ----- रुपये की रकम के प्रतिफल स्वरूप राष्ट्रपति के साथ यह करार करता है कि वह (1) राष्ट्रपति को उक्त रकम का तथा उस पर उक्त नियम के अनुसार लगाए गए ब्याज का संदाय अपने वेतन में ले प्रतिमास कटौती कराके कराके करेगा जैसाकि उक्त नियम में उपबंधित है और ऐसी कटौतियां करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत करता है। उक्त रकम दी जाने की तारीख से एक मास के भीतर उक्त उधार की पूरी रकम रेडियो सैट खरीदने में लगाएगा या यदि उसके द्वारा दी गई वास्तविक कीमत उधार की रकम से कम है तो शेष रकम राष्ट्रपति को तुरंत लौटा देगा और (3) उधार लेने को पूर्वोक्त उधार की रकम और ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त रेडियो सैट को राष्ट्रपति के पक्ष में गिरवी रखने के लिए उक्त नियम द्वारा उपबंधित प्रपत्र में दस्तावेज का निष्पादन करेगा। यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि उक्त रकम दी जाने की तारीख से एक मास के भीतर रेडियो सैट खरीदा और गिरवी नहीं रखा जाता है या यदि उधार लेने वाला उस अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या सरकारी नौकरी छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उधार की पूरी रकम और उस पर ब्याज तुरंत शोध्य और संदेय हो जाएगा।

इस दस्तावेज पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क को उधार लेने वाले को देना होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप उधार लेने वाले ने तथा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री ----- ------ --------- ने इस पर उपरोक्त लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त--------
(उधार लेने वाले का नाम
और पदनाम)

1. ---------
(साक्षी के हस्ताक्षर)

2. --------------------
(साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

उधार लेने वाले के हस्ताक्षर
पदनाम ---------
कार्यालय ---------

राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री --- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- ---- ---- -- - ने

1. --------------------
2. --------------------
की उपस्थिति में हस्ताक्षर
किए।

अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम --------------------
कार्यालय --------------------

ANNEXURE III
(See Rule 4(iv)

FORM NO. 2

FORM OF AGREEMENT TO BE EXECUTED AT THE TIME OF DRAWING AN ADVANCE FOR THE PURCHASE OF A RADIO SET

AN AGREEMENT made on ____________________ day of ____________________ one thousand nine hundred and ____________________ BETWEEN ____________________ of ____________________ (hereinafter called the Borrower, which expression shall include his heirs, assigns, administrators, executors and legal representatives) of the one part and the President of India (hereinafter called the President, which expression shall include his successors and assigns) of the other part.

Whereas the Borrower has under the provisions of the "Rules for the grant of advances for the purchase of radio sets by officers and staff of All India Radio" (hereinafter referred to as the "said Rules" which expression shall include any amendments thereof for the time being in force) applied to the President for a loan of Rs. ____________________ for the purchase of a radio set and whereas the President has agreed to lend the said amount to the Borrower on the terms and conditions hereinafter contained. NOW IT IS HEREBY AGREED between the parties hereto that in consideration of the sum of Rs. ____________________ paid by the President to the Borrower (the receipt of which the Borrower hereby acknowledges) the Borrower hereby agrees with the President (1) to pay the President the said amount with interest calculated according to the said Rules by monthly deductions from his salary as provided for by the said Rules and hereby authorises the President to make such deduction and (2) within one month from the date of these presents to expend the full amount of the said loan in the purchase of a radio set or if the actual price paid is less than the loan to repay the difference to the President forthwith and (3) to execute a document hypothecating the said radio set to the President as security for the amount lent to the Borrower as aforesaid and interest in the form provided by the said Rules AND IT IS HEREBY LASTLY AGREED AND DECLARED THAT if the radio set has not been purchased and hypothecated as aforesaid within one month from the date of these presents or if the Borrower within that period becomes insolvent or quits the service of Government or dies the whole amount of the loan and interest accrued thereon shall immediately become due and payable.

The stamp duty will be borne by the borrower.

IN WITNESS where of the Borrower and ____________________ for and on behalf of the President have hereunto set their hands the day and year first before written.

*Signed by the said in the presence of

1. ____________________ ____________________
2. ____________________ ____________________

(Signature of witnesses) (Signature and designation of the Borrower)

Signed by (name and designation)

____

for and on behalf of the President of India in the presence of

____________________ ____________________

____________________ ____________________

(Signature of witness) Signature and designation of the Officer

*Name and designation of the Borrower.

अनुलग्नक IV

(देखिए नियम 4(4)

प्रपत्र संख्या 3

रेडियो सैट अग्रिम के लिए बंधक पत्र का प्रारूप

यह लिखित करारनामा कर पक्षकार के रूप में------------------- (जिसे इसमें आगे "ऋणी" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, प्रशासक, निष्पादक, समनुदेशिती और विधिक प्रतिनिधि भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें आगे "राष्ट्रपति" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज ------------------- दिन ------------------- तारीख उन्नीस सौ ------------------- को किया गया।

ऋणी ने एक रेडियो सैट खरीदने के लिए "आकाशवाणी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारस रेडियो सैट खरीदने के लिए अग्रिम दिए जाने संबंधी नियमों" (जिसे इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है जिसके अन्तर्गत उस नियम के उस समय प्रवृत्त संशोधन भी शामिल हैं) उपबन्धों के अधीन ------------------- रुपये के अग्रिम के लिए आवेदन किया है और वह मंजूर कर दिया गया है/गया था और ऋणी को उक्त उधार पर जिन शर्तों पर दिया गया है/गया था उनमें से एक शर्त यह है कि उधार लेने वाला उसे उधार दी गई रकम के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त रेडियो सैट को राष्ट्रपति को गिरवी रखेगा और ऋणी ने पूर्वोक्त रूप में दिए गए उधार की रकम से या उसके भाग से रेडियो सैट, जिसकी नीचे लिखी अनुसूची में दी गई है, खरीद लिया है।

यह लिखित करारनामा इस बात का साक्षी है कि इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए ऋणी यह प्रसंविदा करता है कि वह पूर्वोक्त ------------------- रुपये की रकम या उसके भाग का जो इस विलेख की तारीख तक शेष रह जाता है ------------------- रुपये की समान किस्तों में प्रत्येक मास के प्रथम दिन संदाय करेगा और उस समय देय और शेष राशि पर उक्त नियम के अनुसार लगाया गया ब्याज देगा। उधार लेने वाला इस बात के लिए सहमत है कि ऐसी किस्तें उक्त नियम द्वारा उपबंधित रीती से उसके वेतन से मासिक कटौतियां करके वसूल की जा सकेगी और उक्त करारनामे के ही अनुसरण में उधार लेने वाला सैट का, जिनकी विशिष्टयां नीचे लिखी अनुसूची में दी गई हैं उक्त अग्रिम और उस पर ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त नियम की अपेक्षानुसार राष्ट्रपति को समनुदेशन और अन्तरण करता है।

ANNEXURE IV

(See Rule 4(iv)

FORM NO. 3

FORM OF MORTGAGE BOND FOR RADIO SET ADVANCE

THIS INDENTURE made this .... day of .... one thousand nine hundred and .... BETWEEN .... (hereinafter called "the Borrower", which expression shall include his heirs, assigns, administrators, executors and legal representatives) of the one part and the PRESIDENT of India (hereinafter called "the President", which expression shall include his successors and assigns) of the other part.

Whereas the Borrower has applied for and has been granted an advance of Rupees .... to purchase a radio set on the terms of the "Rules for the grant of advances for the purchase of radio sets by officers and staff of All India Radio" (hereinafter referred to as "the said Rules" which expression shall include any amendments thereof for the time being in force) AND WHEREAS one of the conditions upon which the said advance has been/was granted to the Borrower is/was that the Borrower shall/should hypothecate the said radio set to the President as security for the amount lent to the Borrower AND WHEREAS the Borrower has purchased with or partly with the amount so advanced as aforesaid the radio set particulars whereof are set out in the Schedule hereunder written.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and for the consideration aforesaid the Borrower both hereby covenant to pay to the President the sum of Rs .... aforesaid or the balance thereof remaining unpaid at the date of these presents by equal payments of Rs .... each on the first day of every month and will pay interest on the sum for the time being remaining due and owing calculated according to the said Rules and the Borrower both agree that such payments may be recovered by monthly deductions from his salary in the manner provided by the said Rules, and in further pursuance of the said agreement the Borrower both hereby assign and transfer unto the President the radio set the particulars where of are set out in the Schedule hereunder written by way of security for the said advance and the interest thereon as required by the said Rules.

ऋणी यह करार करता है और घोषणा करता है कि उसने उक्त रेडियो सैट की पूरी क्रय कीमत दे दी है। और वह पूर्ण रूप से उसकी सम्पत्ति हे और उसे गिरवी नहीं रखा हे और जब तक उक्त अग्रिम के संबंध में कोई धनराशि राष्ट्रपति को संदेय रहती है तब तक वह उक्त रेडियो सैट को न तो बेचेगा, न गिरवी रखेगा और न उसमें अपने स्वामित्व या कब्जे को छोड़ेगा। यह भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि मूलधन की उक्त किस्तों में से कोई भी किस्त या ब्याज देय हो जाने के पश्चात् दस दिन के भीतर पूर्वोक्त रूप में नहीं दे दिया जाता है या वसूल नहीं कर लिया जाता है या यदि ऋण की मृत्यु हो जाती है अथवा वह किसी समय सरकारी सेवा में नहीं रहता है अथवा यदि वह उक्त रेडियो सैट को बेच देता है या गिरवी रख देता है या उसमें अपने स्वामित्व या कब्जे को छोड़ देता है अथवा दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता या ठहराव कर लेता है अथवा यदि कोई व्यक्ति उधार लेने के खिलाफ किसी डिक्री अथवा निर्णय के निष्पादन में कार्यवाही प्रारम्भ करता है तो उक्त मूलधन की पूरी रकम जो उस समय देय हो किन्तु जिसका संदेय न किया गया हो, पूर्वोक्त रूप में लगाए गए ब्याज सहित तुरंत संदेय हो जाएगा और इसके द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि इसमें इसके पूर्व उल्लिखित घटनाओं में से किसी के होने पर राष्ट्रपति उक्त रेडियो सैट का अभिग्रहण कर सकेंगे और उसका कब्जा ले सकेंगे तथा या तो उसको हटाए बिना उस पर कब्जा रख सकेंगे या उसके हटा सकेंगे और सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राइवेट संविदा द्वारा उसे बेच सकेंगे तथा बेचने से प्राप्त रकम में से उक्त उधार का उस समय शेष भाग और पूर्वोक्त रूप में लगाया गया और देय कोई ब्याज और इसके अधीन अपने अधिकारों को बनाए, उनकी रक्षा करने या उन्हें प्राप्त करने में उचित रूप से किए गए सब खर्च, प्रभाग व्यय और संदाय अपने पास रख सकेंगे तथा यदि कोई रकम शेष रहती है तो उसे ऋणी उसके निष्पादकों, प्रशासकों या वैयक्तिक प्रतिनिधियों को दे देंगे, परन्तु उक्त रेडियो सैट का कब्जा लेने या उसको बेचने की पूर्वोक्त शक्ति से, उधार लेने वाले पर या उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों पर उक्त शेष रकम और ब्याज के लिए अथवा यदि रेडियो सैट बेच दिया जाता है तो उतनी रकम के लिए जितनी से बेचने से प्राप्त शुद्ध आगम देय रकम से कम पड़े, राष्ट्रपति के बाद लाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा ऋणी यह भी करार करता है कि जब तक कोई धनराशि राष्ट्रपति को देय हो और बाकी रहे तब तक ऋणी उक्त रेडियो सैट को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं करने देगा या होने देगा तथा उसमें उचित टूट-फूट से अधिक टूट-फूट नहीं होने देगा और यदि उक्त रेडियो सैट को कोई नुकसान पहुंचता है तो ऋणी तुरन्त उसी मरम्मत कराएगा। और उसको ठीक करा लेगा।

इस दस्तावेज पर होने वाला स्टाम्प शुल्क खर्च संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा वहन किया जाएगा।

And the Borrower doth hereby agree and declare that he has paid in full the purchase price of the said radio set and that the same is his absolute property and that he has not pledged and so long as any money remains payable to the President in respect of the said advance will not sell, pledge or part with the property in or possession of the said radio set. PROVIDED ALWAYS and it is hereby agreed and declared that if any of the said instalments of principal or interest shall not be paid or recovered in manner aforesaid within ten days after the same are due or if the Borrower shall die or at any time cease to be in Government service or if the Borrower shall sell or pledge or part with the property in or possession of the said radio set or become insolvent or make any composition or arrangement with his creditors or if any person shall take proceedings in execution of any decree or judgment against the Borrower the whole of the said principal sum which shall then be remaining due and unpaid together with interest thereon calculated as aforesaid shall forthwith become payable AND IT IS HEREBY AGREED AND declared that the President may on the happening of any of the events hereinbefore mentioned seize and take possession of the said radio set and either remain in possession thereof without removing the same or else may remove and sell the said radio set either by public auction or private contract and may, out of the sale moneys, retain the balance of the said advance then remaining unpaid and any interest due thereon calculated as aforesaid and all costs, charges, expenses and payments properly incurred or made in maintaining, defending or realising his rights hereunder and shall pay over the surplus, if any, to the Borrower, his executors, administrators or personal representative PROVIDED FURTHER that the aforesaid power of taking possesssion or selling of the said radio set shall not prejudice the right of the President, to sue the Borrower or his personal representatives for the said balance remaining due and interest or in the case of the radio set being sold the amount by which the net sale proceeds fall short of the amount owing AND the Borrower hereby further agrees that he will not permit or suffer the said radio set to be destroyed or injured or to deteriorate in a greater degree than it would deteriorate by reasonable wear and tear thereof AND further that in the event of any damage happening to the said radio set the Borrower will forthwith have the same repaired and made good.

The Government servant concerned will bear the stamp duty on this document.

अनुसूची

रेडियो सैट का ब्यौरा

1. टाइप
2. माडल
3. वाल्वों की संख्या
4. ए.सी./डी.सी. –
5. चेसिस सं०, यदि कोई हो तो
6. लागत मूल्य
7. लाइसेंस संख्या

इसके साक्ष्यस्वरूप ------------------ (ऋणी का नाम) और भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से ------------------ ने इस पर उपरोक्त लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त ------------------------------------

ने

1. ------------------------------------
2. ------------------------------------

(साक्षी के हस्ताक्षर)

* की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ------------------------------------

(अधिकारी का नाम और पदनाम)

ने

1. ------------------------------------

(साक्षी के हस्ताक्षर)

2. ------------------------------------

(साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

....

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

पदनाम ....

कार्यालय ....

*ऋणी का नाम और पदनाम

THE SCHEDULE

Description of Radio Set:

1. Type ....
2. Model ....
3. No. of Valves ....
4. AC/DC ....
5. Chasis No., if any ....
6. Cost Price ....
7. Licence No. ....

IN WITNESS whereof the said .... (Borrower's name) and .... for and on behalf of the President have hereunto set their respective hands the day and year first above written.

*Signed by the said in the presence of

1. ....
2. ....

(Signature of witnesses)

....

....

Signed by (name and designation)

---

for and on behalf of the President of India in the presence of

1. ....
2. ....

(Signature of witnesses)

....

....

(Signature and designation of the Officer)

---

*Name and designation of the Borrower.